112

वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत
संख्याः 817/XVII-3/15-07(02)/2006

प्रेषक,

मोहम्मद शाहिद,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

देहरादून : दिनांक 04 जुलाई, 2015

समाज (अल्पसंख्यक) कल्याण अनुभाग–3

विषयः वित्तीय वर्ष 2015–16 में अल्पसंख्यकों हेतु स्वरोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 156 दिनांक 13 मई, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम द्वारा संचालित योजना के लिए प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–400/XXVII(1)/2015, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 एवं शासनादेश संख्या–645/XXVII(1)/2015, दिनांक 04 जून, 2015 में निर्गत दिशा–निर्देशानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्या–15 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत **₹ 100.00 लाख (₹ सौ लाख मात्र)** की धनराशि **"अल्पसंख्यकों हेतु स्वरोजगार"** योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।
2. उक्त स्वीकृति के अधीन आहरण एवं व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 सुसंगत प्राविधानों, वित्तीय नियमों एवं मितव्ययता संबंधी समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
3. स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र व्यय विचलन से कदापि न किया जाये। प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन न करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।
4. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रतिमाह व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर वित्त विभाग, महालेखाकार एवं शासन एवं निदेशालय को ससमय उपलब्ध करायी जाय।
5. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 (लेखानियम आय–व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता को ध्यान में रखकर किश्तों में किया जाय।
7. लाभार्थियों की सूची/मासिक प्रगति एवं त्रैमासिक वसूली की प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षकों को अकित किया जाय और प्रत्येक बिल के दाहिनी ओर लाल स्याही से अनुदान संख्या–15 आयोजनागत/आयोजनेत्तर शब्द लिखा जाय, अन्यथा महालेखाकार के कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

9. बी.एम.–4 पर संकलित मासिक व्यय की सूचनाऐं नियमित रूप से शासन/निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक 4250–800–08–अल्पसंख्यकों हेतु स्वरोजगार योजना–30–निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।
11. यह आवंटन अनुदान संख्या–15 के अलोटमैंट आई डी संख्या–S1506150192, दिनांक 27 जून, 2015 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(मोहम्मद शाहिद)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः–817(1)/XVII-3/2015-07(02)/2006 : तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रबन्धक निदेशक, उत्तराखण्ड अल्पंसख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास नि.लि.।
3. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास नि.लि.।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
5. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(बी0एस0 बोरा)
अनु सचिव।

6

7.

8.